# न्यायालयः प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, अशोकनगर / श्रृंखलान्यायालय चन्देरी (म०प्र०) (समक्षः आनंदप्रिय राहुल)

#### <u>व्यव. वाद (हिन्दू विवाह) प्र.क्र.08 / 2017</u> संस्थित दिनांक 08.11.2016

आशीष गौतम पुत्र श्री प्रमोद कंजौसिया, आयु 27 साल निवासी— राजघाट नहर कालोनी चंदेरी, तहसील चंदेरी,, जिला अशोकनगर म.प्र.

......आवेदक

#### विरुद्ध

दीप्ती राव पत्नी आशीष गौतम पुत्री रामजीराव, आयु 25 साल, निवासी 209 नारायणपुरी इन्द्रलोक कृष्णानगर ट्रेफिक ट्रेनिंग पार्क लखनऊ, उ.प्र.

....अनावेदक

------ आवेदक द्वारा :– श्री आलोक चौरसिया, अधिवक्ता।

अनावेदिका :- पूर्व से एक पक्षीय।

—:: निर्णय ::— (आज दिनांक 30.08.2017 को घोषित)

01 — आवेदक द्वारा यह याचिका अनावेदिका के विरूद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह—विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्ति हेतु प्रस्तुत की गई है।

02 — आवेदका की याचिका संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ हिन्दू रीति रिवाज अनुसार 1 जुलाई 2014 को लखनऊ में सम्पन्न हुआ था। आवेदक, अनावेदिका पति—पत्नी है। आवेदक के माता—पिता ने उसके विवाह में अपनी हैसियत से भी अधिक करते हुए अनावेदिका को उसकी मांग अनुसार सोनी की अंगूठी, नेकलेस,टॉप्स, चांदी की पायलें, सोने का कांटा इंगेजमेंट में व शादी में दो सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, ईयर रिंग्स, चार सोने के कंगन व चांदी की कमर की झालर, पायलें, गले की सोने की चैन पैंडल सहित व कानों के टॉप्स, डायमंड का नॉज पिन व अंगूठी, चांदी की तीन पायल, दस बिछिया आदि सामान

चढ़ाए थे व वधु पक्ष का आधे से अधिक व्यय व्यय आवेदक के परिवार द्वारा ही वहन किया गया था।

विवाह पश्चात आवेदक व उसके परिवारजन ने अनावेदिका को लाड प्यार से रखने की कोशिश की, किंतु अनावेदिका तेजतर्रार, गुस्सैल, एवं जिद्दी स्वभाग की महिला होने से उसका व्यवहार आरंभ से ही खराब रहा है। अनावेदिका का विवाह उसके माता-पिता द्वारा उसकी मर्जी के विरूद्ध किया था. इसलिए वह अपनी ससुराल में आवेदक के साथ सही तरीके से नहीं रही। जबकि आवेदक अपने पति होने के दायित्वों एवं कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करने की कोशिश की गई। शादी के पश्चात से ही उसके अनावेदिका से पति-पत्नी जैसे शारारिक संबंध स्थापित नहीं हुए। काफी प्रयास के बाद एक दिन शारारिक संबंध स्थापित किए, उसके बाद अनावेदिका ने आवेदक से कहा कि वह नामर्द है, वह उसके साथ नहीं रह सकती और अपना पति मानने से भी इंकार कर दिया और कहा कि उसके शारारिक संबंध पूर्व से ही राधे तिवारी नामक व्यक्ति है, जिसे वह पति मान चुकी है व उसके साथ रह चुकी है। उसके माता-पिता ने उसकी मर्जी के विरूद्ध आवेदक के साथ विवाह कर दिया । आवेदक ने अनावेदिका को काफी समझाया, किंतु वह नही मानी और उसके माता–पिता, बहिन से झगडा व अभद्र किया। अनावेदिका ससुराल में पहली बार 8 दिन रूकी और अपनी संपूर्ण ज्वेलरी लेकर वह अपने माता-पिता, छोटे भाई व दो चचेरी बहिनों के साथ चली गई।

04— आवेदक द्वारा काफी प्रयास करने पर अनावेदिका पुनः उसके पास आ गई और अनावेदिका व आवेदक पटना में रहने चले गए, जहां वह दस दिन रूकी, आवेदक को खाना नहीं दिया व दिनभर अपने दिल्ली के बॉयफ्रेंड राधे तिवारी से बात करती रहती व घर के अंदर र्निवस्त्र होकर रहती थी। आवेदक द्वारा समझाये जाने पर उसने आवेदक के साथ अभद्र एवं कूर व्यवहार किया व वह कहने लगी कि वह अपने बॉयफ्रेंड राधे तिवारी से मिलने दिल्ली जा रही है, यदि आवेदक रोकेगा तो वह आत्म हत्या कर लेगी। अनावेदिका ने आवेदक को तलाक देने हेतु लखनऊ बुलाया व रेलवे स्टेशन पर हंगामा खड़ा कर लोगों के सामने अपमानित किया व हाथ में कलाई में काट खाया। अनावेदिका द्वारा कभी भी अपने पति धर्म को नहीं निभाया, न ही पत्नी के कर्तव्यों का पालन किया है।

05— आवेदक शारारिक एवं मानिसक रूप से अनावेदिका द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा है। आवेदक को अनावेदिका के साथ दाम्पत्य जीवन निर्वाह करना असंभव हो गया है व अनावेदिका का व्यवहार कूरतापूर्ण है। आवेदक का अनावेदिका के साथ पित पत्नी के रूप में रहने की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। अनावेदिका द्वारा आवेदक को अत्यधिक रूप से प्रताड़ित किए जाने एवं जान से मारने का प्रयास किए

जाने से उत्पन्न है। अतः आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध कूरता के आधार पर विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति दिये जाने की प्रार्थना की है।

- 06 प्रकरण में अनावेदिका बावजूद तामील अनुपस्थित रही है। उसके अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।
- 07 आवेदक की ओर से अपनी एकपक्षीय साक्ष्य में अपना स्वयं का एवं दिनेश दोहरे, अपने पिता प्रमोद कंसोदिया, शैलेन्द्र श्रीवास्तव, रामनाथ कुशवाह, का कथन कराया गया है तथा प्रदर्श पी—1 लगायत प्रदर्श पी—56 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। आवेदक द्वारा अनावेदिका उसकी पत्नी होना बताया है तथा अनावेदिका द्वारा आवेदक के साथ पत्नि की भांति व्यवहार नहीं किया व कूरतापूर्ण कार्य, व्यवहार व आचरण किया गया है व किया जा रहा है।
- 08 प्रकरण में प्रस्तुत आवेदिका की चुनौतीहीन साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं रहता है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से अनावेदिका आवेदक की पत्नी होना और वर्तमान में आवेदक से पृथक रहना पाया जाता है।
- 09— आवेदक ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि आवेदक का अनावेदिका से विधिवत रूप से विवाह हुआ था दिनांक 1 जुलाई 2014 को हुआ था। अनावेदिका ने आवेदक के साथ पित्न के रूप में व्यवाहिक जीवन मर्यादापूर्ण तरीके से उसके साथ रहकर नहीं बिताया है, बिल्क अमर्यादित व्यवहार आवेदक के साथ रहते हुए उसने बिताया जैसे कि कमरे में नग्न अवस्था में होकर रहना जो कि अमर्यादा की परिधि में आता है।
- 10— अनावेदिका के कई बॉयफ्रेन्ड थे इस तथ्य की पुष्टि बावत् आवेदक की ओर से जिन लडकों से उसके बॉयफ्रेन्ड की हैशियत से संबंध थे उनसे उसके अनैतिक शारीरिक संबंध भी थे। जिसके बावत आशीष गौतम अ.सा—1 ने अपने अभिकथन की कंडिका—3 के अंत में अभिकथन दिया है कि अनावेदिका का चरित्र भी किसी प्रकार से ठीक समझ में नहीं आता है तथा वह फेसबुक पर वह अपने नये—नये दोस्तों के अश्लील फोटो डालती है तथा नये—नये दोस्त बनाकर उनके साथ अवैध संबंध बनाए हुए है।
- 11— अनावेदिका ने आवेदक के साथ पितन की भांति वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया व उसे शारीरिक संबंध भी स्थापित करने से बंचित रखा। जिससे उसके कूरतम रवैय से तथा असहनीय व्यवहार से तथा प्रताडित करने के कारण उसका जीवन भी दूभर हो गया और वह मानसिक रूप से परेशान है, के तथ्य की पुष्टि भी

आवेदक की ओर से पेश की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से हुई है। आवेदक ब. सा—1 के अभिकथन की पुष्टि दिनेश दोहरे ब.सा—2, शैलेन्द्र श्रीवास्तव ब.सा—4, रामनाथ कुशवाह ब.सा—5 व उसके पिता प्रमोद कंजोसिया ब.सा—3 के अभिकथन से भी हुई है। आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य की पुष्टि आवेदक की ओर से पेश की गई साक्ष्य से हुई है। आवेदक की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है वह अखंडनीय रही है उस पर अविश्वास किये जाने का अभिलेख पर कोई आधार नहीं है।

- 12— अतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप आवेदक की याचिका स्वीकार कर, आवेदक के हित में अनावेदिका के विरूद्ध निम्न आज्ञप्ति पारित की जाती है कि
- आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य विवाह—विच्छेद (विवाह—विघटन) होना घोषित
  किया जाता है।
- ब. प्रकरण का व्यय आवेदक स्वयं वहन करें।
- **स.** अनावेदिका, आवेदक से कोई भरण—पोषण की राशि भविष्य में प्राप्त करने की पात्र नहीं है।
- द. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित करने पर नियमानुसार आंका जावे।

निर्णय आज दिनांक को हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर मुद्रित किया गया।

आनन्द प्रिय राहुल प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, अशोकनगर श्रृंखला न्यायालय चन्देरी आनन्द प्रिय राहुल प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, अशोकनगर श्रृंखला न्यायालय चन्देरी